**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1291**

**01 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए**

**कच्चा इस्पात उत्पादन**

**1291. श्री गोपाल शेट्टी:**
**डॉ. सुभाष रामराव भामरे:**
**श्री रवीन्द्र कुमार जेना:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व इस्पात उत्पादन में भारत का क्या स्थान है और अगले तीन वर्षों के दौरान भारत की अनुमानित कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(ख) सरकार द्वारा इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु आवंटित निधियां कितनी है?

**उत्तर**

**इस्पात और खान राज्य मंत्री** **श्री विष्णु देव साय**

(क) वर्ल्ड स्टील एशोसिएशन (डब्ल्यूएसए) द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत वर्ष 2013 में क्रूड इस्पात का विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था।

12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस्पात संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार तीन वर्षों अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान भारत की क्रूड इस्पात की अनुमानित उत्पादन क्षमता नीचे दी गयी है :-

| वर्ष | भारत की क्रूड इस्पात की अनुमानित उत्पादन क्षमता (मिलियन टन या एमटी) |
|---|---|
| 2014-15 | 129 |
| 2015-16 | 141 |
| 2016-17 | 149 |
| स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) | |

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इसलिए, नई क्षमता निर्माण के लिए निवेशगत निर्णय व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा वाणिज्यिक सोच-विचार के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। तथापि, सरकार ने इस्पात उद्योग को विश्व स्तर पर सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) इस्पात क्षेत्र में विभिन्न निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए इस्पात मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) का गठन किया गया हैं।

(ii) इस्पात क्षेत्र समेत विनिर्माण/अवसंरचना क्षेत्र में 1000 करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वीकृतियों में तेजी लाने/इनमें विलम्ब करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधीन एक परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) का गठन किया गया हैं।

(iii) घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता सुधारने और घरेलू मूल्य वर्धन बढ़ाने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। हाल ही में सरकार ने लौह अयस्क पैलेटों के निर्यात पर यथा मूल्य 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाया है।

(iv) वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में स्टेनलेस स्टील के चपटे उत्पादों पर सीमा शुल्क की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत की गई है।

***